



## प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 03.03.2026

थाना बरौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 16/2026 धारा 65(1)/78/107 बी0एन0एस0 2023 व 3/4(2) व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित विधि का उल्लंघन करने वाले बाल अपचारी को अभियोग पंजीकृत होने के 24 घण्टे के अंदर पुलिस निगरानी में लिया गया।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना बरौर पर वादिनी द्वारा दिनांक 02.03.2026 को दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 16/2026 धारा 65(1)/78/107 बी0एन0एस0 2023 व 3/4(2) व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। प्राप्त साक्ष्यों/तथ्यों के आधार पर थाना बरौर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित विधि का उल्लंघन करने वाले बाल अपचारी को अभियोग पंजीकृत होने के 24 घण्टे के अंदर दिनांक 03.03.2026 को उजियारी चौराहा कानपुर नगर से पुलिस निगरानी में लिया गया। पुलिस निगरानी में लिये गये विधि का उल्लंघन करने वाले बाल अपचारी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

बाल अपचारी को निगरानी में लेने वाली थाना बरौर पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री रंजीत कुमार
- 2.हे0का0 योगेन्द्र सिंह
- 3.का0 हिमांशु